

2018/00012 ✓

P.D. फाल्गुन, अयोध्या - PV  
आगामी दिनांक - 27-2-24

राजस्थान सरकार  
(कायदा - 129)

7. 7. 2024 P. D. फाल्गुन, अयोध्या  
P.D. 27.2.24

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के  
दिनांक - 19.3.24  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किरम मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
ताद पत्र 53 R.T.A.	5/2018	12.1.2018		23/7/24 29/7/24 20/8/24 10/9/24 7/10/24 30/10/24 20/11/24 18/12/24 28/11/25 17/2/25 20/2/25

अनवान

श्री मन्वीष 5/0 मदनलाल ब्राह्मण

श्री कैलाश 5/0 मदनलाल ब्राह्मण

निवासी ~~खेराडिया~~ खेराडिया, विजौलिया

निवासी खेराडिया तह. विजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेष्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री B.P. तिवड़ी

श्री सुमित उ. जोशी

2018/00012

FORM No. III

फर्द अहकाम

APP- A  
Crim I

नियम 26

सुकास विजोलिया  
बनास 5 ला 3  
सम् 2-18

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स अब नम्बर क ताराख अहकाम जो इक हुकम को तारीख में जारी हुए।

वास्तु सौजे से बाइजोल फेक उका वरी ल  
वागी उपाधिगी वास्तु उर्ग शक्ति / कुम  
जाइल उतिवागीगप श्री तल्ली जल्ले कम्म  
कस गरुल वास्तु केग श्री जाडी फर्द  
कोकि तल्ली। एकास एम्बर 30.11.18

सुप खण्ड अधिकारी  
विजोलिया (विभागी)

पत्रावली फेस उरु वरील वागी उपाधिगी।  
उतिवागीगप क कम्म जोरहा वरी कोरे प  
कलागल कम्म एम्बर 6.9.18 को फेकल

सुप खण्ड अधिकारी

पत्रावली फेस उरु। उतिवागीगप को वागीगप वी  
कोरे प. B.O. जा. कोरे पर वी। उतिवागीगप  
दिनांक 20/3/18 को वास्तु त/कोरे प. कोरे प. हो।

सुप खण्ड अधिकारी  
विजोलिया (विभागी)

सुप खण्ड अधिकारी  
दिनांक 20/3/18

सुप खण्ड अधिकारी 20/3/18  
दिनांक 20/3/18

FORM NO. III

APP- A  
Crim-5

फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

जज अदालत S90 मुकाम बिजौनिया  
मजीद बनाम दलार  
 क्रिम मुकदमा S3RTA नं. 5/18 वर्ष

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/7/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में विपक्षी P.D. पर छिद्र पड़े हैं। पत्रावली वाले छिद्र दिनांक 23/7/24 को पेश हो	
29/7/24	पत्रावली पेश हुई उचितता उभयपक्ष ने P.D स्वीकार की। एवं किली प्रचार का कोई objection नहीं किया। पत्रावली वाले दिनांक 20/8/24 को पेश हो	P.D स्वीकार है [Signature]
20/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वाले दिनांक 10/9/24 को पेश हो	P.D स्वीकार है [Signature]
10/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/9/24 को वास्ते P.O. पेश हो।  [Signature] उपखण्ड अधिकारी	[Signature]
7/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 7/10/24 को वास्ते P.O. पेश हो।  [Signature] उपखण्ड अधिकारी	[Signature]
30/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 30/10/24 को वास्ते P.O. पेश हो।  [Signature] उपखण्ड अधिकारी	[Signature]

नया  
अपना  
हुकम  
य

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/11/24

पत्रावली पेश हुई पत्रावली वाले आदेश  
डा. गाम्भी दिनांक 18/12/24 को पेश हो  
उ

18/12/24

पत्रावली पेश हुई पत्रावली वाले आदेश  
28/1/25 को पेश हो अधिकारता स्टाम्प  
100/- पेश करें।  
उ

28/1/25

पत्रावली पेश हुई बादी द्वारा 100/-  
रुपए का स्टाम्प पेश किया गया,  
जिसे शामिल पत्रावली किया गया,  
पत्रावली में जिय (अन्तिम डिग्री) की  
की गरी पत्रावली फॉरवर्ड शुमार होकर  
गुनर से कम होकर दाखिल करवा  
हो

उप सखंड अधिकारी  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमान् अजीत सिंह रावठ (RAS)

वादपत्र संख्या 05 / 2018

दायर तारीख 12/01/2018

अनवान

01. मनीष पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

01. कैलाश पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रमेश पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मंकरबाई पत्नि मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब विजौलियां तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा



उपस्थित :- -श्री ब्रह्म प्रकाश तिवाड़ी - अधिवक्ता वादीगण  
-सुमित कुमार जोशी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण

.....प्रतिवादी

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक :- 20/02/2025

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई दिनांक 02/08/2019 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम उत्तम नगर पटवार हल्का भोपतपुरा भूअभिनि. क्षेत्र विजौलियां कलां तहसील विजौलियां कलां के खाता संख्या 17 में अंकित खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 0.8498 किस्म बंजड नहरी व खसरा नम्बर 501/414 क्षेत्रफल 0.4047 हैक्टेयर किस्म बंजड नहरी कुल खसरा 02 क्षेत्रफल 1.2547 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम बांका पटवार हल्का भोपतपुरा भूअभि. नि.क्षेत्र विजौलियां कलां तहसील विजौलियां कलां के खाता संख्या 41 में अंकित खसरा नम्बर 506 क्षेत्रफल 1.2545 किस्म बंजड नहरी कुल खसरा 01 क्षेत्रफल 1.2547 हैक्टेयर भूमि एवं में वादी का हिस्सा 1/4 का पृथक से विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जावें। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलिया से लिया गया। तहसीलदार

लगातार पेज संख्या 02 पर

  
उपखण्ड अधिकारी  
विजौलियां (भील.)

पेज संख्या 02

बिजौलिया ने अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 293 दिनांक 26.02.2024 से प्राथमिक डिक्री की पालना मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को रखीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	मनीष पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506 / 3	0.2530
	योग		खसरा 01	0.2530
02	रमेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506 / 5	0.3440
	योग		खसरा 01	0.3440
03	कैलाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506 / 1	0.3251
	योग		खसरा 01	0.3251
04	भंवेशीबाई पत्नि स्व. मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506 / 2 506 / 4	0.2121 0.1200
	योग		खसरा 02	0.3324

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	मनीष पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144 / 3 501 / 414 / 3	0.2280 0.1462
	योग		खसरा 02	0.3742
02	रमेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144 / 5	0.2833
	योग		खसरा 01	0.2883
03	कैलाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144 / 1 501 / 414 / 1	0.1225 0.1796
	योग		खसरा 02	0.3021

उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया जिला-भित्तूर  
[बिजौलिया]

03	भंवरीवाई पालि स्व. गदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144/2 144/4 501/414/2 501/414/4	0.1008 0.1152 0.4005 0.0384
	योग		खसर 04	0.2949

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार  
मूल वाद में डिक्री

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी : - श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

वादपत्र संख्या 05/2018

दायर तारीख 12/01/2018

अनवान

01. मनीष पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) .....डिक्रीदार

बनाम

01. कैलाश पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. रमेश पिता मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भंवरबाई पत्नि मदनलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खेराडिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.....मदयून

उपस्थित :- -श्री ब्रहम प्रकाश तिवाड़ी - अधिवक्ता डिक्रीदार  
-सुमित कुमार जोशी - अधिवक्ता मदयून

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट**

निर्णय दिनांक : 20/02/2025

डिक्री दिनांक : 20/02/2025



यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय

बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री ब्रहमप्रकाश तिवाड़ी को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है

कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम उत्तम नगर एवं बांका पटवार हल्का बिजौलियां कलां के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री मूर्तिब की गई।

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	मनीष पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण सां. खेराडिया खातेदार	बांका	506/3	0.2530
	योग		खसरा 01	0.2530

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

02	रमेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506/5	0.3440
	योग		खसर 01	0.3440
03	कैलाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506/1	0.3251
	योग		खसर 01	0.3251
04	भवंशीबाई पत्नि स्व. मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	वांका	506/2	0.2121
	योग		506/4	0.1200
			खसर 02	0.3324



क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	मनीष पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144/3 501/414/3	0.2280 0.1462
	योग		खसरा 02	0.3742
02	रमेश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144/5	0.2833
	योग		खसर 01	0.2883
03	कैलाश पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144/1 501/414/1	0.1225 0.1796
	योग		खसर 02	0.3021
04	भवंशीबाई पत्नि स्व. मदनलाल जाति ब्राह्मण सां. खेराडिया खातेदार	उत्तमनगर	144/2 144/4 501/414/2 501/414/4	0.1008 0.1152 0.4005 0.0384
	योग		खसर 04	0.2949

जिज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बाबत ..... Nil ..... खर्चा इस कदम के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख सूलयाबी तक ..... Nil ..... का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह ०२ वर्ष २०२५ को जारी किया या।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक २०/०२/२०२५ को मुर्तिब की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां  
उपखण्ड अधिकारी  
विजौलियां (भील)